150/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 150/2016 अनवानी श्री नक्षत्रसिंह पुत्र हमीरसिंह नवासी वार्ड न0 8 रायसिंहनगर बनाम तहसीलदार, रायसिंहनगर

A3

11–02–2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2016 के द्वारा तहसीलदार, रायसिंहनगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी के अपील पत्र के अनुसार उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार रायसिंहनगर से निम्न सूचनां चाही थीः–

रायसिंहनगर के भडभूजा बाजार की दुकान सख्या 15, 16 एवं पार्किंग के पूर्व मे 20 फुट सड़क पर सुल्तान राम, सुरेन्द्र सिंह ने अतिक्रमण कर रखा है। एसडीएम द्वारा तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए 16.05.2016 को लिखा गया था उस पर आप द्वारा की गई जाच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दी जावे परन्तु नही दी गई।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपना जबाब सं0 185 दिनांक 17.10.2016 निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपील के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2016 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर के मण्डी रायसिंहनगर की भड़भूजा बाजार की दुकान सख्या 15, 16 एवं पार्किग के पूर्व मे सडक से अतिक्रमण हटाने बाबत प्रस्तुत किया था श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर कृपया देखे मार्किंग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में आना नही पाया जाता एवं न ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपके पत्रके सलंग्न सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा शहरी क्षेत्र में बाजार की दुकान संख्या 15, 16 व पार्किंग के पूर्व में सडक से अतिक्रमण सुरेन्द्र सिंह ने कर रखा है जिस पर क्या कार्यवाही की गई थी। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट चाही गई थी। नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने संबंधी निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार नही है। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को अधिकार है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक वाद सिविल न्यायाधीश कनिष्ट खण्ड एवं न्यायिक मजि0 प्रथम वर्ग रायसिंहनगर को 11/14 प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2014 को प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त निर्णय की चित्रप्रति अवलोकनार्थ सलंग्न पेश है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के कार्यालय से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है। अतः अपील प्रार्थी खारिज योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

150/2016 जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र के अनुसार यह अपील उसने आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध पेश की है इस आदेश 05.09.16 की प्रति न तो अपील पत्र के साथ पेश की गयी है और न ही सुनवाई के दौरान पेश की गई है किन्तु उसका कथन है कि उसने दि0 16.05.16 को एक साधारण प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को मण्डी रायसिंहनगर के भड़भूंजा बाजार की दुकान सं0 15, 16 व पार्किंग के पूर्व में नक्शे के अनुसार 20 फुट सड़क है जिस पर सुलतानराम आदि ने अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की है उसकी जांच रिपोर्ट चाही है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.10..16 के अनुसार प्रार्थी का कोई सूचना अधिकार अधिनियम का प्रा0 पत्र नही है और न ही प्रार्थी ने दिनांक 05.0916 के प्रा0 पत्र की प्रति पेश की है। अपीलपत्र के साथ उसने 16.05.16 की प्रति पेश की है जो उक्त अतिक्रमण हटाने के संबंध में है और तहसीलदार रायसिंहनगर ने प्रार्थी के 16.05.16 के प्रा0 पत्र के सन्दर्भ में ही जबाब पेश किया है। जब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र ही पेश नही हुआ है तो उसकी अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार करने योग्य नही है। अपीलार्थी अब केवल तहसीलदार रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन 17.10.16 की प्रति चाहता है। जिसके लिए तहसीलदार रायसिंहनगर को हिदायत की जाती है कि वे अपने प्रतिवेदन क्रमांक रीडर/16/185 दिनांक 17.10.2016 की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा/-
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर